

प्रेषक,

श्री साहब सिंह निरंजन
विशेषकायाधिकारी
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र
प्रान्ति विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा 171 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 20 अक्टूबर, 1999

विषय:- माडर्न ऐरा पब्लिक स्कूल मण्डावर रोड, बिजनौर को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माडर्न ऐरा पब्लिक स्कूल मण्डावर रोड, बिजनौर को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्न-लिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- 111 विद्यालय की 'पंजीकृत सोसायटी' का सम्य-सम्य पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्विफिसेट इक्युअिमेंशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- 151 संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणितर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।



Principal
Modern Era Public School
Mandawar Road, Bijnor
248701 (U.P.)


---121



Manager
Modern Era Public School
Bijnor (U.P.)

- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओं में रखा जायेगा।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।
- 2- प्रतिबंध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि
- 111 आवेदन पत्र तथा शुल्क जमा होने की पुष्टि कर ली जाय।
- 121 सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में शातनादेश दि०-३०-११-९१ में अंकित प्रतिबंधों का समावेश सोसाइटी वाइलाज में उल्लिखित हो।
- 131 विद्यालय में अध्यापन का माध्यम, छात्रावार शुल्क का विवरण प्राप्त किया जाय।
- 141 विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का भुक्तान नये वेतनमान के अनुसार सुनिश्चित किया जाय तथा प्रधानाचार्य के वेतनमान में कुल देय परिलब्धियाँ प्राप्त की जाय।
- 151 विद्यालय की निजी भूमि स्वामित्व में हो।
- 161 विद्यालय में शिक्षण का निर्धारित माप के हो।
- 3- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय



 साहब सिंह निरंजन
 विशेषकार्याधिकारी

पु०सं०- 5120 111/15-7-99 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक मुरादाबाद।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक बिजनौर।
- 4- निरीक्षक अंग्रेजी भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- प्रबंधक मॉडर्न रेरा पब्लिक स्कूल, मण्डावर रोड, बिजनौर।

आज्ञा से


 साहब सिंह निरंजन
 विशेषकार्याधिकारी


 Principal
 Modern Era Public School
 Mandawar Road, BIJNOR
 248701 (U.P.)


 Manager
 Modern Era Public School
 BIJNOR (U.P.)